Delhi Public School, Bulandshahr

DPS: BS: Admin:496 :2021-2022
Dated: 17 December 2021

परिपत्र

प्रिय अभिभावक!
दिल्ली पब्लिक स्कूल, बुलंदशहर में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में आपको हाल ही में दिनांक 09 दिसम्बर 2021 को परिपत्र जारी किया गया था। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्व–व्यवस्थित अनधिकृत निजी वाहनों से विद्यालय भेजते हैं। ऐसे वाहनों का परिचालन सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। इन वाहनों से विद्यार्थियों का विद्यालय में आना बड़ी चिन्ता का विषय है। इन वैनों में विद्यार्थी निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में आते–जाते देखे गए हैं। यह न केवल अवैध है बल्कि हमारे बच्चों के लिए जोखिम भरा भी है। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन को कुछ वैनों के अनधिकृत रूप से गैस सिलेंडर फिटिंग के साथ चलने की सूचना प्राप्त हुई है।

अभिभावकों को इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि ये वैन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जिला प्रशासन और सी.बी.एस.ई द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। इन वैन चालकों का न तो पुलिस सत्यापन हुआ है और न ही इन निजी वाहनों में कोई स्थायी सुरक्षा मानदंड लागू किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त इन वैन चालकों को प्रायः बिना पूर्व सूचना के बदल दिया जाता है। यह कहना सही नहीं होगा कि इस प्रकार के वाहनों में यात्रा करते समय हमारी बेटियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। कुछ निजी वाहनचालक वाहनों को चलाते समय मोबाइल अथवा ईयरफोन का उपयोग भी करते हैं, जो कि न केवल जोखिम भरा है बल्कि असुरक्षित एवं खतरनाक भी है। इससे होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अनहोनी के लिए विद्यालय प्रबंधन उत्तरदायी नहीं होगा। अक्सर यह अनधिकृत वाहन खराब हो जाते है और विद्यालय के बच्चे सड़क पर खड़े रहते हैं जो कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से चिन्ता का विषय है। हमारे बच्चों की सुरक्षा और हित को हमारी प्राथमिकता सूची में शीर्ष स्थान पर रखा जाना चाहिए।

कुछ बच्चे दुपहिया वाहनों से विद्यालय आते तथा जाते हैं तथा हैलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्धन सूचित करता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुपहिया वाहन चलाना वर्जित है तथा इसके लिए दुपहिया वाहन चलाने का लाईसेन्स होना अनिवार्य है। परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में विद्यालय को निर्देश दिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 18 से कम हो तथा जिनके पास लाईसेन्स न हो, उन्हें विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए।

उपर्युक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए डी.पी.एस. बुलंदशहर प्रबंधन आपसे पुनः अनुरोध करता है कि अपने बच्चों के विद्यालय आगमन एवं प्रस्थान के लिए विद्यालय परिवहन का ही उपयोग करें। यह हमारे बच्चों के लिए न केवल सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन होगा बल्कि हितकारी भी होगा। इस सन्दर्भ में दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलन्दशहर प्रबन्धन नई/ठेकेदार की बसें अधिकृत करने के लिए तैयार है।

विद्यालय प्रबंधन इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि हमारे सभी वाहनों में एक RFID उपकरण लगा होता है जो विद्यार्थियों के आगमन एवं प्रस्थान के संबंध में संदेश को रिकॉर्ड कर आप तक प्रेषित करता है।

इस संबंध में आप अपनी सुविधानुसार विद्यालय समयावधि के भीतर हमसे भेंट कर सकते हैं तथा विद्यालय परिवहन प्रभारी श्री अनिल गुप्ता से दूरभाष (9891797848) के द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से मिल भी सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च रखते हुए तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल, बुलन्दशहर प्रशासन आपके साथ सहयोग करने हेतु तत्पर है।

विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में आपके सहयोग की अत्यधिक सराहना की जाएगी।

प्रधानाचार्य
Principal
Delhi Public School
Bulandshahr-203001 (U.P.)